सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
(राज्यपाल सूचना परिसर)

——————

राज्यपाल ने जनपद सीतापुर स्थित जिला कारागार का भ्रमण कर वहाँ निरुद्ध महिला बंदियों से संवाद स्थापित किया

——————

राज्यपाल ने कारागार परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए महिला कैदियों की परिस्थितियों, समस्याओं एवं उनके पुनर्वास की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया

——————

यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु न्याय में अत्यधिक विलंब अपने आप में एक अन्याय है

–राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल

——————

लखनऊ : 14 मई, 2025

प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने आज जनपद सीतापुर में स्थित जिला कारागार का भ्रमण कर वहाँ निरुद्ध महिला बंदियों से संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने कारागार परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए महिला कैदियों की परिस्थितियों, समस्याओं एवं उनके पुनर्वास की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया।

राज्यपाल जी ने उन महिला बंदियों की पीड़ा पर विशेष चिंता व्यक्त की, जो विगत कई वर्षों से कारागार में बंद हैं, परंतु अब तक उनके मामलों में ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु न्याय में अत्यधिक विलंब अपने आप में एक अन्याय है।

उन्होंने महिला बंदियों से उनके कौशल की जानकारी प्राप्त की जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक–कला आदि और इस बात पर बल दिया कि इन कौशलों के माध्यम से वे स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। उन्होंने कारागार में रह रहे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन बच्चों के लिए समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें।

राज्यपाल जी ने महिला कैदियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जब वे कारागार से मुक्त होकर अपने घर लौटें, तो अपने बच्चों को यह सिखाएं कि जीवन में कभी ऐसा कार्य न करें, जिससे कारागार आना पड़े तथा अपने अनुभवों से समाज को सकारात्मक दिशा दें।

इस अवसर पर उन्होंने कारागार में रह रहे नन्हे–मुन्ने बच्चों को चॉकलेट, सेब, केला और फ्रूटी देकर प्रेम एवं द ार्या। उन्होंने महिला बंदियों के भोजन एवं पोषण संबंधी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

राज्यपाल जी ने उन महिला बंदियों की जिनका व्यवहार, कार्य और चरित्र सराहनीय रहा है और जो 10 वर्शों से अधिक समय से कारागार में निरूध हैं, ऐसे मामलों में नियमानुसार रियायत की प्रक्रिया को प्राथमिकता दिये जाने पर बल दिया, जिससे न्याय की सुलभता सुनिश्चित हो सके और वे एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।

इस अवसर पर कारागार अधीक्षक, कारागार प्र ाासन सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

————————

संपर्क सूत्रः
डॉ0 संगीता चौधरी,
सूचना अधिकारी, राजभवन
मो0: 9161668080